प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक-01.10.2023

थाना रमाला पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीमने थाने के मु0अ0सं0 265/23 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए07लुटेरोंको किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, 02 मोटरसाईकिल तथा लूटे हुए1,57,700 रुपये नकद व 01 बैग जिसमें बंधन बैंक से सम्बन्धित कागजात बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.2023 को थाना रमाला परवादी श्री विकास पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी मौ0 कृष्णापुरी कस्बा बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वाराउसके व उसके साथी कुलदीप कुमार से 1.98 लाख रुपये व दोनों के मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल की चाबी छीनकर भाग गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 265/23 धारा 392भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार परअभियुक्तगण1.रिजवान पुत्र महबूब अली निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत, 2.मुस्कान पुत्र इलियास, 3.साहिल पुत्र जमशेद, 4.शाहरुख पुत्र शेरजान निवासीगण ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत, 5.साकिर पुत्र वकील 6.लुकमान

पुत्र जमील 7.वकील पुत्र नूर मौ0 निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमालापुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वाराथाने के मु0अ0सं0265/23 धारा 392भादवि का सफल अनावरण करते हुए शातिर 07 लुटेरें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकेकब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, 02 मोटरसाईकिल तथा लूटे हुए1,57,700 रुपये व 01 बैग जिसमें बंधन बैंक से सम्बन्धित कागजात बरामद हुए हैं।

उपरोक्त अभियोग में उचित धाराओं की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मुस्कान पुत्र इलियास निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।
2-रिजवान पुत्र महबूब अली निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
3-साहिल पुत्र जमशेद निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।
4-शाहरुख पुत्र शेरजान निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत। (मुठभेड में घायल)
5-साकिर पुत्र वकील निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
6- वकील पुत्र नूह मौहम्मद निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
7- लुकमान पुत्र जमील निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि बंधन बैंक के कर्मचारी जो जगह-जगह से रूपयों का कलेक्शन करते हैं और हमारे एरिया से बंधन बैंक कांधला ले जाते है हम सभी ने मिलकर उनको लूटने की योजना बनायी और काफी दिनों तक उनकी रैकी करने के बाद दिनांक 26.09.2023 को वकील, साकिर और लुकमान ने रैकी के दौरान बताया कि आज उनके पास काफी रूपये है तो हम चारोंमुस्कान, रिजवान, साहिल व शाहरुख 02 मोटरसाईकिलों पर,सवार होकर बंधन बैंक के दोनों कर्मचारियों को असारा एलम रजवाहे की पटरी पर दिन में करीब 3:00बजे तमंचे दिखाकर रोक लिया और तमंचो का भय दिखाकर उनके पास से 02 बैग व 02 मोबाईल फोन लूट लिये। लूटे हुए बैग के

रूपये हमने गिने तो उनमें कुल 01 लाख 98 हजार रूपये निकले, जो हमने आपस में बांट लिए थे।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोरमय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 स्प्लैन्डर HR-26AX-9568
- घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 स्प्लैन्डरUP-17M-1418
- लूटे हुए 1,57,700 रुपये नकद।
- एक बैग जिसमें बंधन बैंक से सम्बन्धित कागजात।

अभियुक्त के साथ पुलिस मुठभेड़-

थाना रमाला पुलिस द्वारा उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों 1.मुस्कान पुत्र इलियास, 2.रिजवान पुत्र महबूब अली, 3.साहिल पुत्र जमशेद को मेडिकल के लिए सीएचसी बडौत ले जाते समय बासौली/बरवाला गेट के पास अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त द्वारा उल्टी करने का बहाना बनाकर मौके का फायदा उठाकर उपनि0 शिवकुमार की सर्विस पिस्टल को छीनकर पुलिस कस्टडी से भागा तथा पुलिस पार्टी पर छीनी हुई पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए बाद पुलिस मुठभेड शाहरुख पुत्र शेरजान निवासी किरठल थाना रमाला जनपद बागपतको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उ0नि0 से छीनी गयी सर्विस पिस्टल तथा फायर किये गये 02 खोखा कारतूस व 06 जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना प्रभारीश्री शिवदत्त सिंह थाना रमालाजनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री नितिन पाण्डेय सर्विलांस प्रभारीबागपत मय टीम ।
3-व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
6-का0 566 इन्द्राज थाना रमाला जनपद बागपत।
7-का0 1032 ब्रजेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
8-का0 907 धर्मेन्द्र कुमार जनपद बागपत।
9-का0 301 मुलायम सिंह।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 01-10-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान01अभियुक्ता को किया गिरफ्तार। जिसके कब्जे से 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिसद्वारा चैकिंग के दौरान01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 250 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 173 रिंकू कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-म0का0 499 अंजू यादव कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक- 01.10.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 687/23 धारा 379/420/465 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर प्लस फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.09.2023 को वादी फिरोज पुत्र अय्यूब निवासी गुराना शिव कालोनी थाना-बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटरसाईकिल स्प्लै ण्डर प्लस घर के सामने से चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 687/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 687 /23 धारा 379/420/465 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर प्लस फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद हुई है।

उपरोक्त बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी पट्टी मीरापुर बावली रोड़ कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर प्लस फर्जी नम्बर प्लेट लगी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार तोमर थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक -01.10.23

थानाबडौतपुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 694/23 धारा 147/148/352/323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक30.09.2023 को थाना बडौत पर वादी विपिन पुत्र राजू निवासी नेहरू रोड कश्यप गली कस्बा व थाना बड़ौत ने सूचना दी की अभि युक्तगण1-सागर पुत्र सुभाष, 2-मनीष पुत्र राजकुमार, 3-रिंकू पुत्र विनोद, 4-भोला, 5-अमन, 6-सागर पुत्र बिरजू समस्त निवासीगण कमला नगर गुराना रोड कस्बा बड़ौत द्वारा वादी व वादी के चचेरे भाईयों पर एक राय होकर लाठी-डण्डों व धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की, जिससे वह वादी के चचेरे भाई गम्भीर रुप से घायल हो गये तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 694/23 धारा 147/148/352/323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौतपुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0694/23 धारा 147/148/352/323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सौरभ पुत्र सुभाष निवासी कमला नगर गुराना रोड़ कस्बा व बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मनीष पुत्र रामकुमार निवासी कमला नगर गुरानारोड़ कस्बा व बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राजकुमार गौतमथाना बडौत ।

2-का0 712 विनय कुमार थाना बडौत ।

3-का0 972 आदित्य प्रताप सिंह थाना बडौत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक- 01.10.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 691/23 धारा 302 भादवि में वांछित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अन्य 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2023 को थाना बडौत पर वादी सोहनवीर पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-राजीव पुत्र रामनिवास, 2-विकास पुत्र रामनिवास व 3-बाल अपचारी निवासीगण ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत ज नपद बागपत द्वारा उसके पुत्र रितिक उम्र 16 वर्ष को जान से मारने की नियत से मारपीट की, जिससे उसके पुत्र की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 691/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 691/23 धारा 302 भादवि में वांछित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अन्य 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राजीव पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

2-विकास पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

3- बाल अपचारी ।

पूछताछ विवरण-

बाल अपचारी ने बताया कि रितिक पुत्र सोहनवीर हमारा पड़ोसी था तथा मेरे साथ मजदूरी करता था, जिसके 30 रूपये मेरे पर उधार थे । दिनांक 29.09.2023 को शाम के समय वह मेरे चाचा राजीव की दुकान पर आया मैं भी चाचा राजीव की दुकान पर ही खडा था । रितिक नें मुझसे आते ही अपने 30 रूपये मांगे मैंने बाद में देने को कहा तो वह मारपीट पर उतारू हो गया तभी मेरे चाचा राजीव व विकास जो दुकान पर ही मौजूद थे । वो भी निकलकर आ गये तथा रितिक को जान से मारने की नियत से हम तीनों ने हाथ से उसका गला दबा दिया तभी रितिक का पिता सोहनवीर व चाचा उदयवीर भागकर आ गये तो हम तीनों उसे वही दुकान के सामने गिराकर भाग गये थे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार सिंह थाना बडौत जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-का0 775 मंजीत पुनियां थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-का0 693 विवेक सिरोही थाना बडौत जनपद बागपत ।

6-का0 194 तरूण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनाँक - 01.10.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 595/23 धारा 307 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.0 8.23 को थाना बड़ौत पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा बडौत में झांसी चौराहे पर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में गाली-गलौच करते हुए मारपीट तथा फायरिंग हुई थी । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 595/23 धारा 307 भादवि व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 595/23 धारा 307 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू उर्फ बाटू पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम बावली पट्टी गोपी थाना बडौत जनपद बागपत ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 910/14 धारा 4/25 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 971/14 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0स0 420/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

4-मु0अ0स0 961/15 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

5-मु0अ0स0 1135/15 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

6-मु0अ0स0 1137/15 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

7-मु0अ0स0 224/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

8-मु0अ0स0 69/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

9-मु0अ0स0 1102/19 धारा 307/323 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

10-मु0अ0स0 595/23 धारा 307 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 468 कुलदीप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 402 विशाल पुनियां थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 01.10.2023**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 413/23 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अवनेश उर्फ अवनीश पुत्र गेंदालाल नि वासी ग्राम चंदउआ थाना अतरौली जनपद अलीगढ हाल पता इन्द्रापुरी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 250 ग्राम चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि नरेश चन्द यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-का0 1008 मिथुन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 149 सचिन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

साइबर सैल

सितम्बर-2023

साइबर सैल जनपद बागपत के द्वारा माह सितम्बर 2023 में 06 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा-धड़ी में कुल 2,14,028रुपयेवापस कराये गये–

साइबर सैल जनपद बागपत द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0पत्रसं0	बरामद धनराशि
1	रमाला	प्रा0 पत्र सं0- 184/22	60000/- रुपये
2	बिनौली	प्रा0 पत्र सं0- 226/22	20000/- रुपये
3	बालैनी	प्रा0 पत्र सं0- 15/23	3200/- रुपये
4	खेकडा	प्रा0 पत्र सं0- 59/23	59000/- रुपये
5	बागपत	प्रा0 पत्र सं0-90/23	46828/- रुपये
6	बडौत	प्रा0 पत्र सं0- 133/23	25000/- रुपये
		कुल योग	2,140,28रुपये

BAGHPAT POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल"अभियान केअन्तर्गतमाहसितम्बरमें कुल-59 गुमशुदा एवं अपहृताओंको बरामद किया गया:-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह सितम्बर में कुल-59 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था,जिनके द्वारागुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
01	बागपत	542/23	365 भादवि
02	बागपत	635/23	147/452/366भादवि
03	बिनौली	144/23	366 भादवि
04	बिनौली	214/23	365 भादवि
05	बिनौली	230/23	366/120बी भादवि
07	खेकड़ा	315/23	366 भादवि
08	खेकड़ा	11/23	365 भादवि
09	खेकड़ा	54/23	366 भादवि
10	खेकड़ा	344/23	366 भादवि

11	खेकड़ा	355/23	363 भादवि
12	खेकड़ा	357/23	147/452/323/364 भादवि
13	खेकड़ा	380/23	365 भादवि
14	खेकड़ा	386/23	366भादवि
15	चांदीनगर	106/23	365 भादवि
16	चांदीनगर	118/23	363 भादवि
17	चांदीनगर	124/23	365 भादवि
18	चांदीनगर	131/23	363 भादवि
19	चांदीनगर	133/23	365 भादवि
20	बालैनी	149/22	366 भादवि
21	बालैनी	134/23	365भादवि
22	बालैनी	145/23	366भादवि
23	बालैनी	146/23	366भादवि
24	बालैनी	148/23	366भादवि
25	बालैनी	149/23	363भादवि
26	बालैनी	154/23	363भादवि
27	बडौत	394/23	363/506 भादवि
28	बडौत	501/23	366 भादवि(01 महिला व उसका 01 बच्चा)
29	बडौत	540/23	363भादवि

30	बडौत	559/23	365भादवि
31	बडौत	570/23	363 भादवि
32	बडौत	576/23	366 भादवि
33	बडौत	580/23	363 भादवि
34	बडौत	587/23	366भादवि
35	बडौत	599/23	363भादवि
36	बडौत	608/23	363भादवि
37	बडौत	616/23	366 (01 महिला व उसके 02 बच्चे)
38	बडौत	628/23	366भादवि
39	बडौत	652/23	363भादवि
40	दोघट	158/23	366 भादवि
41	दोघट	230/23	365 भादवि
42	रमाला	178/23	366 भादवि(01 महिला व उसके 02 बच्चे)
43	रमाला	222/23	366 भादवि
44	रमाला	230/23	366भादवि
छपरौली			
45	छपरौली	64/23	366 भादवि
46	छपरौली	167/23	366 भादवि
47	छपरौली	183/23	365 भादवि

48	छपरौली	192/23	365 भादवि
49	छपरौली	193/23	366 भादवि
50	छपरौली	215/23	365 भादवि
51	छपरौली	219/23	365 भादवि(03दोस्त)
52	छपरौली	223/23	363 भादवि